डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1575/2026 दिनांक : 11/06/2026

सेवा में,

प्राचार्य,
बृजबिहारी महाविद्यालय,
कोसी कलां, मथुरा।

विषयः– स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अनुमोदित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा सम्बद्धता/परीक्षा शुल्क जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक संख्या–329/2025–26 दिनांक 21.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित बी0कॉम0 के स्टॉफ की सैलरी एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु पूर्व में जारी की गयी अनुमति की अवधि को नियमानुसार बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 09.06.2026 के अनुपालन में, प्रबन्धन समिति के अनुमोदन होने तक अथवा छह (06) माह की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है–

1. प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं चौकीदारों का वेतन भुगतान करा सकेंगे।
2. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का परीक्षा शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय में जमा कराया जा सकेगा।
3. समस्त सम्बन्धित कार्यवाही वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
4. यह आदेश सीमित परिधि एवं अस्थायी (औपबन्धिक) प्रकृति का होगा।
5. यह आदेश किसी प्रकार की सम्पत्ति के हस्तांतरण, विक्रय, भूमि क्रय अथवा अन्य स्थायी वित्तीय दायित्वों के निर्वहन का अधिकार प्रदान नहीं करेगा।
6. स्ववित्तपोषित मद की धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
7. बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में वर्णित अधिकारों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रशासनिक अथवा वित्तीय अधिकार प्रदान नहीं किये जाते हैं।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त का संज्ञान लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett